संख्या–2–ई.एम.2009 / 2018–का–4–2018

प्रेषक,

डा.अनूप चन्द पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–4

लखनऊ : दिनांक : 18 अक्टूबर, 2018

विषयः–कतिपय सेवा संगठनों द्वारा दिनांक 25.10.2018 से 27.10.2018 तक की हड़ताल किये जाने की सम्भावना के संबंध में।

महोदय,

राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि कतिपय संगठनों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली एवं अन्य मांगों के संबंध में दिनांक 25.10.2018 से 27.10.2018 के मध्य हड़ताल तथा उसके उपरान्त अनिश्चितकालीन हड़ताल किये जाने के संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956 तथा उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता)नियमावली 1979 की निम्नलिखित व्यवस्थाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जा रहा हैः–

(क)उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956 (यथासंशोधित)

(1) नियम–3 के अनुसार प्रत्येक सरकारी सेवक हर समय अपनी ड्यिूटी के प्रति पूर्ण निष्ठा एव समर्पण रखेगा।

(2) नियम–5–।(2) कोई सरकारी सेवक अपनी सेवा या अन्य किसी सरकारी सेवक की सेवा संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार की हड़ताल के लिए न तो सहायता करेगा और न ही उसमें सम्मिलित होगा।

(ख)उत्तर प्रदेश(सेवा संघो को मान्यता) नियमावली 1979 यथा (संशोधित)

(1) नियम–4(ङ) के अनुसार सेवा संघ कोई ऐसा कार्य न करेगा और न कोई ऐसा कार्य करने में सहायता देगा जिसको यदि किसी सरकारी सेवक द्वारा किया जाय तो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के किसी उपबन्ध का उल्लंघन हो ।

(2) नियम–4(ढ) के अनुसार सेवा संघ समान्य और सुचारू रूप से संरकारी कार्य संचालन में बाधा डालने या अवरोध उत्पन्न करने की दृष्टि से अपने सदस्यों को हड़ताल करने या धीरे कार्य करने या कोई अन्य तरीका अपनाने के लिए न प्रेरित करेगा, न उकसायेगा, न भड़कायेगा, न उत्तेजित करेगा, न सहायता और न सहयोग देगा।

(3) नियम–4(ण) के अनुसार सेवा संघ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे कार्य में भाग नहीं लेगा जिससे कि सरकारी सेवक को अपने कार्यालय आने या अपने पदीय कर्तव्य का पालन करने में अभित्रास या अवरोध या रूकावट हो ।

(4) नियम–8 में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ/परिसंघ उक्त वर्णित नियम–4 में उल्लिखित उपरोक्त अपेक्षाओं/शर्तो का उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता वापस ली जा सकती है।

2– उपर्युक्त नियमों/प्राविधानों से अपने नियंत्रणाधीन समस्त सरकारी सेवकों तथा मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ/परिसंघ को अवगत कराने का कष्ट करें । यह भी अवगत कराने का कष्ट करें कि धरना, प्रदर्शन अथवा हड़ताल में शामिल होने की स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एव अपील) नियमावली–1999 के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी ।

3– सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये जा रहे हैः–

(1) उपर्युक्त प्रस्तर–1 एवं–2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुक्रम में प्रभावी कार्यवाही की जाय।

(2) धरना, प्रदर्शन एवं हड़ताल में भाग लेने के कारण यदि संबंधित कार्मिक के द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो ऐसे कार्मिकों को "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत के आधार पर सम्बन्धित अवधि का वेतन भुगतान न किया जाय।

(3) अग्रिम आदेशों तक अवकाश मांगने वाले अधिकारियों/कार्मिकों का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।

(4) कार्यालय आने वाले कार्मिकों को संरक्षण प्रदान किया जाय तथा व्यवधान डालने वाले कार्मिकों के विरुद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(5) कार्य बहिष्कार अथवा हड़ताल की स्थिति में अपने विभाग से संबंधित अत्यावश्यक सुविधायें बनाये रखे जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(6) यह सुनिश्चित किया जाय कि जो अधिकारी/कार्मिक कार्यपर उपस्थित होना चाहते है उन्हें न रोका जाय कार्यालय परिसरों एवं उनके गेटों पर किसी को न रोका जाय।

(7) सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने आदि के प्रयासों को कड़ाई से रोका जाय।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त के आलोक में समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा.अनूप चन्द पाण्डेय)
मुख्य सचिव

संख्या–2–ई.एम./2001(1)–टी.सी.–का–4–2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
3. वित्त (सामान्य) अनुभाग–2

आज्ञा से,

(मुकुल सिंहल)
अपर मुख्य सचिव।

कृषि निदेशालय–उत्तर प्रदेश
(मुख्यालय प्रशासन अनुभाग)

पत्रांक:–मु0प्र0(I)/ 3000 /एच0ए0सी0एम–01/2018–19/लखनऊ दिनांक: 23 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– उपरोक्त शासनादेश संख्या–2–ई0एम0/2001(1)टी0सी0–का–2–2016, कार्मिक अनुभाग–4, दिनांक 18.10.2018 की प्रतिलिपि सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/अनुभागाधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं इस आशय से कि अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त कार्मिकों को परिपालन हेतु अवश्य अवगत कराना सुनिश्चित करें।

2– सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ को इस आशय से कि शासनादेश दिनांक 18.10.2018 विभागीय वेब साईट पर अपलोड करते हुए समस्त विभागीय कार्यालयों को परिपालन हेतु नियमानुसार यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

3– समस्त मान्यता प्राप्त सेवा संगठन, कृषि भवन, लखनऊ।

4– केयर टेकर (मुख्यालय) को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

5– गार्ड फाईल।

23.10

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।